(103)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 537–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–2–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर प्रकरण कमांक 6/2014–15/अपील.

खेमसिंह पुत्र लालाराम कुशवाह
निवासी ग्राम गिरवाई
लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक

श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक–अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 6/2014–15/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 एवं सहपठित संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–2–2016 को अंतरिम आदेश

पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, किन्तु संलग्न दस्तावेज रिकार्ड में लिये बिना प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचाराधीन आवेदन पत्र संहिता की धारा 52 दिनांक 18–11–2014, संहिता की धारा 32 दिनांक 1–12–2014 व संहिता की धारा 48 के आवेदन पत्र का बिना निराकरण किये प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये बिना, और सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण अन्तिम तर्क हेतु नियत करने में त्रुटि की गई है । इस आधार पर कहा गया कि बिना आवेदन पत्रों का निराकरण किये प्रकरण में अन्तिम तर्क सुनकर गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत कया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 7216/2014 आदेश दिनांक 24–11–2014 का पालन नहीं करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वैधानिक एवं उचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसकी ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32, 48 एवं 52 के प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार किया गया है । अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन भी Inherent रूप से स्वीकार किया गया है । आवेदक द्वारा यह निगरानी केवल अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण को लंबित

रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाना प्रतीत होती है । अतः यह निगरानी निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–2–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर